विवरणिका

(BROCHURE)

जैविक उत्पादन एवं प्रमाणीकरण

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य जैविक प्रमाणीकरण
संस्था, रायपुर
मोबाईल नं.– 9893082756

जैविक प्रमाणीकरण

प्रस्तावना :–

जैविक खेती अब विश्व के विभिन्न देशों में तेजी से प्रचलित होते जा रही है एवं दिन प्रतिदिन जैविक उत्पाद की मात्रा की मांग भी बढ़ती जा रही है । जैविक खेती न केवल कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधार रही है वरन् कृषि के अन्य तरीकों की तुलना में अधिक कीमतें दिलाता है जिसके कारण टिकाऊ खेती, पर्यावरण संतुलन एवं उपभोक्ताओ को स्वस्थ उत्पाद उपलब्ध कराने अग्रसर हो रहा है । हमारे देश में कई कृषक जैविक खेती कर रहे है किन्तु वे उचित रूप से संगठित नही हुए है ।

भारत सरकार द्वारा एक स्वत्रंत संस्था एपीडा (APEDA) का गठन किया है जों विभिन्न राज्यों में जैविक खेती के लिए प्रमाणीकरण, निरीक्षण के मानक निर्धारण एवं अन्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के पंजीयन का कार्य करती है ।

भारत सरकार, वाणिज्य एवम् उद्योग मंत्रालय द्वारा जैविक उत्पाद के निर्यात के लिए विशेष बढ़ावा दे रही है ।

जैविक खेती विभिन्न कृषकों,उत्पादको, प्रसंस्करण कर्ताओ, व्यापारियो/ निर्योतको के एवम् उपभोक्ता के बीच अधिक प्रचलित होती जा रही है ।

भारत के विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थिति एवम् कृषि जैव विविधिता वाले विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में रसायानिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अत्याधिक प्रयोग से कृषि उत्पाद के द्वारा मानव स्वास्थय को होने वाली हानि के प्रति सचेत होने के कारण जैविक खेती का व्यापक महत्व बढा है ।

भारत सरकार का वाणिज्य एवम् उद्योग मंत्रालय द्वारा जैविक खेती एवम् उच्च गुणवत्ता उत्पाद उत्पादित करने के लिए सन् 2000 में **जैविक उत्पाद के राष्ट्रीय कार्यक्रम** शुरू किया गया । जिसकी विधिवत अधिसूचना सन् अक्टुबर 2001 विदेश व्यापार एवम् विकास (Foreign Trade and Devlopment - Act FTDR Act) के तहत किया गया । केन्द्र सरकार की मंशा है कि भारत के प्रत्येक राज्यों में एक

जैविक प्रमाणीकरण संस्था, का गठन हो जिससे वहां के किसान जैविक उत्पाद को समय सीमा एवम् कम लागत में प्रमाणित करा सकें ।

इसलिए राज्य सरकार द्वारा एक स्वतंत्र जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन की आवश्यकता महसूस किया गया । जिसके लिए छ0ग0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, को उक्त संस्था के गठन की जिम्मेदारी सौपी गई ।

जैविक खेती की आवश्यकता क्यो !

1) अंधाधुध रसायनो का प्रयोग (उर्वरकों एवम् कीटनाशकों) होने के कारण कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली में होने वाले हानि को जैविक खेती अपना कर कम किया जा सकता है ।

2) जैविक खेती का उददेश्य पर्यावरण संतुलन बनाएँ रखते हुऐ टिकाऊ खेती के द्वारा रसायन मुक्त उत्पाद का उत्पादन किया जा सके ।

3) जैविक खेती भूमि की उत्पादतकता एवम् उर्वरता (उचित शस्य क्रिया एवम् भूमि प्रबंधन को अपनाकर) बढ़ाती है जिसके कारण कृषि उपज बढ़ जाती है ।

4) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ाती है एवम् आर्थिक स्थिति में सुधार करती है । जिसके कारण किसान की सामाजिक, आर्थिक, स्थिति का उत्थान होता है ।

5) परंपरागत खेती में उर्वरकों एवम् दूसरे रयायन की अत्याधिक प्रयोग से कीट बीमारीयो की संख्या बंढ रही है । साथ ही मित्र कीट विलुप्त होते जा रहे है ।

6) रसायनों को अत्याधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है । जिसे जैविक खेती अपनाकर दूर किया जा सकता है ।

7) जैविक खेती का उददेश्य उपभोक्ताओ को स्वंस्थ कृषि उत्पाद (रसायन मुक्त) उपलब्ध करना है ।

8) जैविक उत्पाद, कृषकों को परंपरागत कृषि उत्पाद के तुलना में अधिक कीमत दिलाती है ।

9) जैविक खेती में श्रम शक्ति एवम् पशुधन का संमुचित उपयोग होता है ।

जैविक खेती से लाभ :–

1) जैविक खेती से वातावरण, मे असंतुलन फैलाने वाले हानिकारक तत्वों को दूर कर पर्यावरण संतुलन बनाएँ रखता है ।

2) जैविक खेती कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है साथ ही कृषि को स्थायित्व प्रदान करती है ।

3) जैविक खेती मृदा का स्वस्थ संतुलित रखती है । एवम् फसल उत्पादन में लागत घटा देती है ।

4) जैविक खेती प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करती है । एवम् संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखती है ।

5) जैविक खेती मृदा के भौतिक गुणों जैसे मृदा संरचना, भुरभुरापन एवम् जल धारण क्षमता बढ़ाती है ।

6) जैविक खेती मृदा के रसायनिक गुणों जैसे भूमि के पोषक तत्वों की पूर्ती, धारण क्षमता एवम् लाभ प्रद रसायनिक क्रियाओं को बंढती है ।

7) जैविक खेती भूमि एवम् भूमिगत जल को रसायनों के अवशेष से दूषित नही करता है ।

8) जैविक खेती भूमि एवम् जानवरों के बीच जैव विविधता को बढ़ावा देता है ।

9) जैविक खेती प्राकृतिक एवम् स्थानीय संसाधनो का पूर्ण उपयोग करता है । एवम् संधारण करता है ।

जैविक खेती – छत्तीसगढ़ राज्य के संन्दर्भ में :–

1) जैविक खेती वर्षा अधारित क्षेत्रों में जल ग्रहण क्षमता को बढ़ावा देता है ।

2) जैविक खेती से भूमि की भौतिक, रासायनिक एवम् जैविक गुणों में सुधार ।

3) जैविक खेती द्वारा जैसे PSB, Mycorrhiza, Aztabacter, Rhizobium आदि को की संख्या को बढ़ा कर सूक्षम जैविक क्रिया को बढ़ावा देता है ।

4) पशुधन का समुचित उपयोग कर बड़ी मात्रा में जैविक खाद बनाया जाता है । इसमें घने जंगलों के अवशेष (flora & fauna) का समावेश किया जाता है

5) जैविक खेती वॉटर हार्वेस्ट तकनीक एवम् उचित जल प्रबंधन के द्वारा जल का समुचित संधारण कर वर्षा पर आधरित क्षेत्रों में जल का उपयोग किया जाता है ।

जैविक प्रमाणीकरण प्रकिया :

पंजीयन :–

जैविक प्रमाणीकरण में पंजीयन कराने के लिए निर्धारण प्रपत्र में जानकारी पूर्ण कर आवश्यक शुल्क के साथ प्रमाणीकरण निरीक्षक के माध्यम से छ0ग0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के प्रधान कार्यालय में जमा कराये ।

प्रकिया :–

प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पंजीयन से शुरू होती है । पंजीयन के लिए कृषकों को आवेदन पत्र दिया जाता है जिसमें भूमि स्थल की स्थिति, किस्म एवं अपनाई जाने वाली कृषि क्रियाओं का समावेश रहता है । आवेदन पत्र के कृषक को वार्षिक प्रतिवेदन (Annual plan) बनाकर संलग्न करना पड़ता है । जिसमें फार्म का नक्शा, बोई जाने वाली फसलों एवं किस्मों का विवरण, खाद एवं पौध संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली उपायों का उल्लेख रहता है । उपरोक्त जानकारी के साथ पाई जाने वाली आवेदन पत्रों का पंजीयन कर, कोड क्रमांक आबंटित किया जाता है ।

प्रधान कार्यालय में पंजीकृत कृषकों की सूची बनाई जाती है एवं निरीक्षण के लिए निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी जाती है । निरीक्षक संबधित कृषकों के स्थल पर जाते है । जैविक फसलों एवं कृषक द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न कृषि क्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते है । सर्वप्रथम निरीक्षक जैविक फसल एवं इसी खेत से लगी हुई दूसरी फसलों को भी देखते है एवं यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते है कि परंपरागत कृषि वाले खेतों से कही रसायन जैविक फसलों वाली खेत पर तो नही आ रहा है । जैविक फसलों वाली खेतो के चारों तरफ कम से कम तीन मीटर जगह खाली छूटी हो या बाड़ लगा हो जिसे बफर जोन कहा जाता है । इसके अलावा निरीक्षक विभिन्न कागजात एवं रजिस्टर (स्टाफ रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, कृषक डायरी, बिल आदि) को देखता है । जिसमें यह पता लगाने का प्रयास करता है कि NPOP के मानक के अनुरूप कृषक द्वारा जैविक खेती किया जा रहा है या नही । अन्त में निरीक्षक उस कृषक से प्रश्न कर संबंधित सारी जानकारी नोट कर निरीक्षण प्रतिवेदन पूर्ण कर कृषक के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं हस्ताक्षर करता है । निरीक्षक निरीक्षण प्रतिवेदन, की एक प्रति जैविक प्रमाणीकरण संस्था, के मुख्यालय में जमा

करता है । जहां पर आगे की कार्यवाही की जाती है । एवं एक प्रति कृषक को भेज दी जाती है ।

महत्वपूर्ण मानक :–

जैविक प्रमाणीकरण के कुछ महत्वपूर्ण मानक इस प्रकार है :–

1. सभी मानक NPOP (जैविक उत्पादन का राष्ट्रीय कार्यक्रम) के अनुरूप हो

2. रूपांतरण कालः–

रूपांतरण की अवधि की गणना फसल निरीक्षण के प्रथम दिनांक से की जायेगी।

- एकवर्षीय एवं द्विवर्षीय फसलों के लिए – 2 वर्ष।
- बहुवर्षीय फसलों के लिए – 3 वर्ष।

3. बफर जोन :–

- परंपरागत एवं जैविक फसलों के खेतों के बीच पर्याप्त दूरी (बफर जोन) बनाये ताकि पड़ोसी खेतों में रसायनों का छिड़काव करने पर जैविक फसल में रसायन का प्रभाव न पड़े।

4. बीज :–

- बीज का स्त्रोत :– जैविक/ बिना उपचार किया हुआ स्थानीय बीज का उपयोग किया जाना है ।
- बीजोपचार :– राइजोबियम/जैविक स्त्रोत से प्राप्त सामग्री (रसायन मुक्त)
- जी .एम. ओ. प्रतिबंधित है ।

5. पौध संरक्षण उपाय :–

- जैविक विधि से बना हुआ : प्राकृतिक सामग्री
- जैविक कीटनाशक
- स्थानीय विधि से बनाया हुआ (गौमुत्र युक्त)
- जैविक नियंत्रण (मित्र कीटो का उपयोग)

6. खाद :– रासायनिक उर्वरक –पूर्णतः प्रतिबंध

- गोबर की खाद :– जैविक विधि से बनाया गया
- केचुआ की खाद / नाडेप खाद / हरी खाद ।

7. निदाई :– श्रमिक द्वारा निदाई

8. गहाई और भंडारण :–

परंपरागत खेती का उत्पादन एवम् जैविक खेती का उत्पादन की गहाई एवम् भंडारण की अलग – अलग व्यवस्था होनी चाहिए ।